न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रथम), जोधपुर पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण सं. 04/2017

प्रार्थीः—

खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफ0एस0ओ0)
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थी (अभियुक्त):—

1. श्री पुखराज शर्मा पुत्र श्री अम्बालाल शर्मा उम्र 42वर्ष **(एफबीओ/मालिक)**
   फर्म—मैसर्स— हरिओम जनरल स्टोर, गांव बेलवा, तह0 बालेसर, जिला जोधपुर
   निवासी— खत्रियों का बास, बेलवा, तह. बालेसर जिला जोधपुर ।
2. श्री आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय उम्र 35 वर्ष **(एफबीओ/मालिक)**
   फर्म—मैसर्स—ए0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर ।
   निवासी— नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर ।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) एंव धारा 51, 52,58 के तहत

निर्णय

दिनांक ....

यह प्रार्थना पत्र श्री संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफ.एस.ओ.) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर ने प्रस्तुत कर निवेदन किया किः—

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज—पत्र अधिसूचना दिनांक 31.07.2011 खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी अधिसुचित किया है जिसमें क्रम संख्या 57 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज—पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार समस्त जिला जोधपुर मेरा कार्य क्षैत्र है । (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

दिनांक 13.07.2016 को 03:00 पी.एम. मैं संदीप अग्रवाल बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग, फर्म मैसर्स–हरिओम जनरल स्टोर, गांव बेलवा, तह0 बालेसर, जिला जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय दुकान पर विक्रेता की हैसियत से श्री पुखराज भार्मा पुत्र श्री अम्बालाल भार्मा उम्र 42वर्ष निवासी– खत्रियों का बास, बेलवा, तह. बालेसर जिला जोधपुर उपस्थित मिले एवं आम जनता को उपयोग हेतु **धी (उत्सव)** एंव अन्य किराणा सामान का विक्रय/भण्डारण किये हुऐ थे । मालिक/विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसए प्रमाण 22215039002830,वेट–03 प्रमाण पत्र,फार्म–वेट– 03 प्रमाण पत्र, पेश किया । उक्त की प्रमाणित छायाप्रतियां सलग्ंन परिवाद है।

परिसर का निरीक्षण करने पर **धी (उत्सव) 1लिटर** के 7 पैक लकडी की रैक्स में आम जनता हेतु विक्रय हेतु रखे हुये थे इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिये रूबरू गवाह श्री भूरम चन्द सोनी पुत्र श्री आइदानमल सोनी निवासी–माजीसा ज्वेलर्स, गांव बेलवा जिला जोधपुर एंव मेरे साथ गये श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मु0चि0 एंव स्वा0 अधि0 जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ **धी (उत्सव)** वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ । प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है । जो सलग्न है ।

रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को **रूपये 800/–** नगद देकर **धी (उत्सव) 1लिटर** के 04 पैक खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की । जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के रूबरू **धी (उत्सव) 1लिटर** के 04 जार पैक, पैक हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम–1188** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई । मेने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये । चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया । मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर

एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना **एम–1188** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया । उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया । फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया । फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्ंवय के द्वारा दिनांक 14.07.2016 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है ।

एम–1188 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 13.07.2016 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 13.07.2016 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 14548–49 दिनांक 26.07.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस. 799/एक्ट/2016/827 दिनांक 26. 07.2016 मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **धी(उत्सव)** का नमूना **असुरक्षित खाद्य (Unsafe food)** एंव **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोट सलंग्न है ।

यह है कि फर्म मैसर्स हरिओम जनरल स्टोर, गांव बेलवा, तह0 बालेसर, जिला जोधपुर को उक्त खाद्य पदार्थ **घी (उत्सव) की अग्रीम खरीद हेतु इनवोईस पेश करने हेतु पत्र संख्या 24 दिनांक 16.08.2016 प्रेषित** किया जो संलग्न परिवाद है।

फर्म मैसर्स हरिओम जनरल स्टोर, गांव बेलवा, तह0 बालेसर, जिला जोधपुर ने उनके पत्र दिनांक 24.08.2016 के साथ मैसर्स–ए0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर का इनवोईस संख्या 332 एंव महावीर रोड लाईन्स की बिल्टी के द्वारा **घी (उत्सव) की खरीद होना पेश किया जो** संलग्न परिवाद है ।

निर्माता फर्म मैसर्स–ए0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर को फार्म 5 एंव पत्र क्रमांक 14548–49 दिनांक 26.07.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस. 799/एक्ट/2016/827 दिनांक 26.07.2016 पत्र संख्या 33–34 दिनांक 26.09.2016 के द्वारा सूचनार्थ प्रेषित कर उनकी फर्म के दस्तावेज हेतु लिखा गया उक्त पत्र मय रजि0 रसीदे संलग्न परिवाद है ।

मैसर्स–ए0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर ने पत्र लिख कर पहचान पत्र श्री आसकरण,एफएसएसआई 12216032000314, वेट–03 प्रमाण पत्र,आदी पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ का अग्रीम खरीद बिल उपलब्ध नही होने एंव स्वय को अन्तिम पार्टी मानकर परिवाद पेश करने हेतु लिखा गया । उक्त पत्र मय दस्तावेज संलग्न परिवाद है ।

खाद्य कारोबारकर्ता श्री आसकरण उपाध्याय द्वारा के आवेदन एंव फार्म. VIII अपील पर अभिहित अधिकारी जोधपुर द्वारा उक्त नमूने का द्वितीय भाग निदेशक,रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर को पुनः जांच हेतु जरिये मेमोरेण्डम 546–47 दिनांक 09.01.2017 को प्रेषित किया गया । उक्त आवेदन पत्र, फार्म. टप्प् अपील,डि0डा0 की छाया प्रति, मेमोरण्डम, पोस्टल रसीदे–3 संलग्न परिवाद है ।

निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए(35एफ)/2017,रेफरल लेब जांच रिपोर्ट 35एफ/एफएसएसए/2017 के द्वारा अभिहित अधिकारी जोधपुर को प्राप्त हुई जो उनके द्वारा अग्रेषण पत्र संख्या 10453–56 दिनांक 15.05.17 के द्वारा खाद्य

कारोबारकर्ता एवं मूल प्रति मुझे अग्रेषित किया गया के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **घी (उत्सव)** का BRR value exceed the maximum standards limit, R.M. value falls below the minimum standards limit, Boudouin test is positive होने के कारण अमानक स्तर (Sub-Standard) एंव FSSAI Lic. No. not given on the label, Hence Contradicts Section 2.2.1.7 of the regulation होने के कारण मिथ्याछाप (Misbranded) एवं Sample contains admixture of other matter not exclusively derived from milk fat, hence contradicts section 2.1.1 of Food Safety & Standards(Prohibition and Restriction on sale Regulation 2011 होना पाया गया है । जो **अर्न्तगत धारा** 3(1) (**zx**) & 3(1)(zf) (C) (iii) of Food safety and Standard Act-2006 का उल्लघंन है ।

खाद्य पदार्थ धी (उत्सव) अमानक स्तर (Sub-Standard) एंव मिथ्याछाप (Misbranded) एंव Sample contains admixture of other matter not exclusively derived from milk fat, hence contradicts section 2.1.1 of Food Safety & Standards(Prohibition and Restriction on sale Regulation 2011 का निर्माण एंव विक्रय कर एफ. एस. एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (पप) (अ) का उल्लघंन किया है जो की धारा 51 एंव धारा 52 एंव धारा 58 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है ।

अतः निवेदन है कि बाद तहकीकात अभियुक्तगण को जुर्माना करने की कृपा करे ताकि अमानक स्तर (Sub-Standard) एंव मिथ्याछाप (Misbranded) एंव contains admixture of other matter not exclusively derived from milk fat, hence contradicts section 2.1.1 of Food Safety & Standards(Prohibition and Restriction on sale Regulation 2011 खाद्य पदार्थ के निर्माण एंव विक्रय को रोका जा सकें ।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वक्त निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान उक्त दुकान से घी (उत्सव) जो आम जनता के विक्रय हेतु रखा गया था। उक्त खाद्य पदार्थ घी (उत्सव) अमानक स्तर एवम मिथ्या छाप होना पाया गया। हमने उक्त घी उत्सव में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है। उक्त घी (उत्सव) की गुणवता में किसी प्रकार कीकोई कमी नहीं है। मात्र घी से बॉक्स पत्ता साफ अक्षरों में अंकित नहीं होने के कारण मिथ्या छाप होना पाया गया। अतः मैं अपना जुर्म स्वीकार करता हूँ, भविष्य से इस प्रकार की कोई गलती नहीं करूंगा।

हमनें प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया एवम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब का अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि खाद्य निरीक्षण द्वारा वक्तनिरीक्षण के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 के फर्म से घी (उत्सव) के अमानक स्तर का संदेह होने पर एक–एक लीटर के4 पैकेट नकद भुगतान कर खरीद किया गया एवं उसे जॉच हेतु पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी में भेजगया। जॉच रिपोर्ट अनुसारः– "The sample of Ghee (Utsav Brand) bearing Code No. and Sr. No. M-118 of Designated Officer cum Chief Meidcal & Health Officer, Jodhpur is Unsafe Food under section 3(1) (zz) (iv) of Food Safety and Standard Act 2006 and Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) ofFood Safety and Standards Act 2006."

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 उप धारा 2 (ii) के तहत अमानक पदार्थ बेचने के दोषी है जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 1 श्री पुखराज पुत्र अम्बालाल शर्मा, निवासी बेलवा तहसील बालेसर व अप्रार्थी संख्या 2 श्री आसकरण उपाध्याय द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवमनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लघंन करने एवम अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51, 52 व 58 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 श्री पुखराज पुत्र अम्बालाल शर्मा, निवासी बेलवा तहसील बालेसर के विरूद्ध रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार मात्र) व अप्रार्थी संख्या 2 श्री आसकरण उपाध्याय पर राशि रूपये 25,000 (अक्षरे पचीस हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उक्त शास्ति राशि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एक माह के भीतर राजकोष में निर्धारित मद में जमाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक .... को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम)
जोधपुर।

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम–प्रथम/2017/ दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,

राज0, जयपुर।

1. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

2. श्री पुखराज भार्मा पुत्र श्री अम्बालाल भार्मा उम्र 42वर्ष **(एफबीओ / मालिक)**
फर्म–मैसर्स– हरिओम जनरल स्टोर, गांव बेलवा, तह0 बालेसर, जिला जोधपुर
निवासी– खत्रियों का बास, बेलवा, तह. बालेसर जिला जोधपुर ।

3. श्री आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय उम्र 35 वर्ष **(एफबीओ / मालिक)**
फर्म–मैसर्स–ए0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर ।
निवासी– नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर ।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम)
जोधपुर।